रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1671] नई दिल्ली, बुधवार, मई 9, 2018/वैशाख 19, 1940

No. 1671] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 9, 2018/VAISAKHA 19, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2018

का.आ. 1858(अ).—यतः, मै. एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वतः मै. टोपनॉच इन्फास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) ने तेलंगाना राज्य मे सर्वे नम्बर 1/1, प्लाट नम्बर 6 आईडीए उप्पल, जिला रंगा रेडडी में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 782(अ) दिनांक 18 मई, 2007 द्वारा उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन के 14.50 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने मै. टोपनॉच इन्फास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से मै. एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड में नाम परिवर्तित करने के अनुरोध को पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2009 द्वारा मंजूरी दे दी थी;

और यतः, मै. एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 10.72 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तेलंगाना सरकार ने उनके दिनांक 05 फरवरी, 2018 के पत्र संख्या 794/आईटी एवं सी/पीआरओएम2/2006 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः विकास आयुक्त, वि ााखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 10.72 हैक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 10.72 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र **3.78 हेक्टेयर** हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:–

तालिका

क्र. सं.	विकासकर्ता का नाम	सर्वे नम्बर	अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नम्बर 1/1 प्लाट नम्बर 6 (भाग–बी)	10.72
	कुल		**10.72**
उपयुक्त घटाव के प□चात एसईजेड का कुल भोष क्षेत्रफल			**3.78**

[फा. सं. एफ.2/336/2006–एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2018

S.O. 1858(E).—Whereas, M/s. NSL SEZ (Hyderabad) Pvt. Ltd (Formerly, M/s Topnotch Infrastructure Private Limited), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology enabled services at Sy. No. 1/1, Plot No. 6 IDA Uppal, Ranga Reddy District, in the State of Telangana;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 14.50 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 782 (E) dated 18th May, 2007;

AND, WHEREAS, the Central Government, further approved the request of change of name from M/s. Topnotch Infrastructure Pvt. Ltd to M/s. NSL SEZ (Hyderabad) Pvt. Ltd vide letter dated 19th February, 2009;

AND, WHEREAS, M/s. NSL SEZ (Hyderabad) Pvt. Ltd has now proposed for de-notification of 10.72 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given its approval to the proposal vide letter No.794/IT&C/Prom2/2006, dated 05.02.2018;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 10.72 hectares of the Special Economic Zone;

AND, NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 10.72 hectares**, thereby making resultant area as **3.78 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Developer name	Survey No.	Area to be de-notified (in Hectares)
1.	NSL SEZ (Hyderabad) Pvt. Ltd	Sy. No. 1, Plot No. 6 (Part-B)	10.72
	Total		**10.72**
Grant total area of SEZ after above deletion			**3.78**

[F. No. F.2/336/2006-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.10 19:23:32 +05'30'